न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :–95 / 2024

प्रार्थी:–

बगदाराम पुत्र खेताराम जाति रबारी निवासी ग्राम गुडानाल तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थी:–

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :–

श्री विक्रम जैन प्रार्थी अधिवक्ता

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 17.01.2025

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 303, 304, 305 रकबा क्रमशः 1.4037,1.4037 व 1.3405 हैक्टेयर ग्राम गुडा व खसरा संख्या 720 रकबा 1.0876 ग्राम नाल तहसील सिवाना में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड, राशनकार्ड, वोटर आई.डी.कार्ड, एवं बिजली के बिल आदि में उसका वास्तविक नाम ''बगदाराम पुत्र खेताराम'' दर्ज है किन्तु विवादित भूमियों के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम ''बगाराम पुत्र खेताराम'' लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक भू.अ./2024/3273 दिनांक 17.12.2024 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंकडायरी, आदि प्रस्तुत किये । प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किये गये।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी की बहस है कि प्रा[illegible] वास्तविक नाम ''बगदाराम पुत्र खेताराम'' है, किन्तु राजस्व [illegible] भूमि खसरा संख्या 303, 304, 305 रकबा क्रमशः 1.4037,1.40[illegible] ग्राम गुडा व खसरा [illegible] 720 रकबा 1.0876 ग्राम नाल तहसील सिवाना में ''[illegible]राम पुत्र खेताराम'' त्रु[illegible] लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.02.19 10:27:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के,आधारकार्ड,मतदाता परिचय पत्र व बैकडायरी में प्रार्थी का नाम ''बगदाराम पुत्र खेताराम'' दर्ज है,किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थी का नाम ''बगाराम पुत्र खेताराम'' दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम ''बगदाराम पुत्र खेताराम'' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 303, 304, 305 रकबा क्रमशः 1.4037, 1.4037 व 1.3405 हैक्टेयर ग्राम गुडा व खसरा संख्या 720 रकबा 1.0876 ग्राम नाल तहसील सिवाना के राजस्व रिकार्ड में दर्ज में प्रार्थी का नाम ''बगाराम पुत्र खेताराम'' के स्थान पर ''बगदाराम पुत्र खेताराम'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 17.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.02.19 10:27:15 IST
Reason: SelfAttested